

भारत सरकार  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3042  
उत्तर दिनांक 19/03/2026 को दिया गया

**परमाणु ऊर्जा उत्पादन**

3042. श्री अनिल कुमार यादव मंदादी

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

- (क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि देश में कुल ऊर्जा उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का योगदान केवल 3 प्रतिशत है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने आने वाले वर्षों में परमाणु ऊर्जा के योगदान को काफी हद तक बढ़ाने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

- (क) व (ख) हां। वर्ष 2024-25 में, देश के कुल बिजली उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 3.1% थी।
- (ग) व (घ) हां। वर्तमान में स्थापित नाभिकीय विद्युत क्षमता 8.78 गीगावाट (आरएपीएस-1 को छोड़कर) को वर्ष 2031-32 तक लगभग 22 गीगावाट और वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट तक क्रमिक रूप से बढ़ाते हुए नाभिकीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार ने, नाभिकीय ऊर्जा मिशन में की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट नाभिकीय विद्युत क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक कार्ययोजना तैयार की है। कार्ययोजना के अनुसार, वर्तमान में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में चल रही परियोजनाओं की क्रमिक पूर्णता पर, वर्तमान नाभिकीय विद्युत क्षमता 8.78 गीगावाट (आरएपीएस-1 को छोड़कर) के वर्ष 2031-32 तक लगभग 22 गीगावाट तक प्राप्त करने की अपेक्षा है। इसके बाद वर्ष 2032 के बाद 32 गीगावाट नाभिकीय विद्युत क्षमता की परिकल्पना की गई है, जिसे

एनपीसीआईएल द्वारा स्वदेशी दाबित भारी पानी रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) और साधारण जल रिएक्टर (एलडब्ल्यूआर) के माध्यम से स्थापित किया जाएगा, और इस प्रकार वर्ष 2047 तक यह क्षमता लगभग 54 गीगावाट हो जाएगी। कार्ययोजना के अनुसार, शेष 46 गीगावाट क्षमता अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (केन्द्रीय और राज्य), राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र और संयुक्त उद्यमों द्वारा विभिन्न व्यावसायिक मॉडलों के माध्यम से तथा विभिन्न प्रौद्योगिकियों के रिएक्टरों की स्थापना से विकसित की जाएगी। सरकार ने नाभिकीय ऊर्जा मिशन की प्राप्ति की दिशा में नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक भागीदारी को सक्षम बनाने के लिए 'शांति अधिनियम' भी अधिनियमित किया है।

भाविनि वर्तमान में कल्पाक्कम, तमिलनाडु में 500 मेगावाट(वि) प्रोटोटाइप द्रुत प्रजनक रिएक्टर (पीएफबीआर) परियोजना के कमीशनन का कार्य कर रहा है। सरकार ने कल्पाक्कम, तमिलनाडु में एफबीआर 1 व 2 परियोजना की 2 x 500 मेगावाट(वि) की द्वि-इकाई के लिए पूर्व-परियोजना गतिविधियाँ संचालित करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। पीएफबीआर की प्रथम क्रांतिकता प्राप्त होने पर, एफबीआर 1 व 2 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति के लिए सरकार से अनुरोध किया जाएगा।

(ड) प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*